

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांक:-एफ 3(2)( )बजट/सान्याअवि/2020-21 /२३१३

जयपुर,दिनांक: 7/9/2020

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,  
जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,  
प्रधानाचार्य, समस्त राज. आवासीय विद्यालय,  
समस्त नारी निकेतन/महिला सदन/वृद्धाश्रम  
समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
राजस्थान।

विषय:- राजकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग(आय-व्ययक अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक प9(1)वित्त-1(1)आ.व्यय.  
/2020,जयपुर दि0 03 सितम्बर, 2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) द्वारा राजकीय व्यय में मितव्ययता हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिन्हें वित्त विभाग की वेबसाईट [www.finance.rajasthan.gov.in](http://www.finance.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड करते हुये उसमें वर्णित दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

इसे महत्वपूर्ण समझा जावे।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन)।
2. अति0/उप निदेशक,पिछडीजाति/अत्याचार निवारण/राईस/सामाजिक सुरक्षा /छात्रवृत्ति एवं छात्रावास/एस.सी.एस.पी./देवनारायण/पेंशन/योजना।
3. संयुक्त निदेशक(आई0टी0)को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(आर.एल.परसोया)  
वित्तीय सलाहकार